...य हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिषेक सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर) **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/347**	
04.10.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 375 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में एक बिन्दू पर सूचना चाही गई जो निम्न प्रकार है कि कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत उपरान्त कार्यालय द्वारा दर्ज परिवाद पत्रावली क्रमांक प.13(1)(245)/2016 में पद का दुरूपयोग सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में सभी दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही मय नोटशीट सहित सम्पर्ण प्रस्तावित कारवाईयों सहित सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि देवं। उन्होने अपनी टिप्पणी में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 224 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा जवाब प्रेषित किया गया है कि "आप द्वारा वांछित सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जिसके प्रदान किये जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अड़चन एवं विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा इस तरह की सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही है।" अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना को सूचना का अधिनियम 2005 की 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण नही दी गई। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जो सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नही दी गई है किन्तु इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 224 दिनांक 21.06.2023 से अपीलार्थी को अवगत भी कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(डॉ.आरूषी मलिक)** अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	